न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 मुकाम भिनाय

प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 57 / 2019

1. छीतर पुत्र उदा जाति रावत निवासी गोवलियां तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामदेव पुत्र मेवा जाति रावत निवासी गोवलियां तहसील भिनाय अजमेर
2. धर्मा पुत्र लाला जाति रावत निवासी गोवलियां तहसील भिनाय अजमेर
3. सीता देवी पत्नी रघुनाथ जाति रावत निवासी गोवलियां तहसील भिनाय अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– धर्मवीर बामणिया
2. वकील अप्रार्थी– सांवरलाल चौधरी
3. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 13.08.2022

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा गोवलियां पटवार क्षेत्र करांटी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 57 में दर्ज ख0न0 1636 रकबा 0.03, ख.न. 1311 रकबा 0.02, और ख.न. 1648 रकबा 0.10 कुल किता 03 कुल रकबा 0.15 है0** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 03 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 04 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 3 की ओर से वकील सांवरलाल चौधरी द्वारा वकालतनाम पेश किया। पत्रावली में जवाब पैश ना करते हुए वकील अप्रार्थीगण ने मुताबिक रिकॉर्ड साक्ष्य होना बताया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने मुताबिक रिकॉर्ड साक्ष्य होना बताया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि होना स्वीकार किया। उपस्थित बैंच द्वारा [illegible] ग्राम गोवलियां का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रा[illegible] की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सद[illegible] का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का [illegible] 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा गो[illegible]यां पटवार क्षेत्र करांटी भू0[illegible] क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 57 में दर्ज ख0न0 1636 रकबा 0.03, ख.न. 1311 रकबा 0.02, और ख.न.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:52:03 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

Scanned with CamScanner

648 रकबा 0.10 कुल किता 03 कुल रकबा 0.15 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक छछुन्दरा को राष्ट्रीय लोक अदालत की मंशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पडौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

(कविता राणावत)
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:52:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner